

उत्तर प्रदेश शासन

नियोजन अनुभाग-1

संख्या:31/2018/147 बी.पी./35-1-2018-8/1(10)/2018

लखनऊ: दिनांक : 28 दिसम्बर, 2018

**कार्यालय-ज्ञाप**

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को गति देने के लिये बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड गठित किये जाने का निश्चय किया गया है। यह बोर्ड पूर्णतया परामर्शी संस्था के रूप में होगा, जो अपनी संस्तुतियां देगा। तत्क्रम में बोर्ड का कार्यकाल तीन वर्ष का निर्धारित करते हुए उसके स्वरूप, कार्य एवं कार्यक्रमों के समयबद्ध/ सुचारू क्रियान्वयन हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जो निम्नवत् है:-

- |                      |    |  |
|----------------------|----|--|
| (1) अध्यक्ष          | -- | मा0 मुख्यमंत्री जी अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति  |
| (2) उपाध्यक्ष        | -- | 02 (मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित)   |
| (3) गैर सरकारी सदस्य | -- | 11 (मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित)   |
| (4) विशेषज्ञ         | -- | 02 (मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ जिन्हें कृषि, पशुपालन, डेयरी, औद्योगिकी विकास, जल प्रबन्धन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के सम्बंध में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कार्य का विशिष्ट अनुभव हो )  |
| (5) सरकारी सदस्य     | -- | 1- मुख्य सचिव<br>2- समाज कल्याण आयुक्त<br>3- कृषि उत्पादन आयुक्त<br>4- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त<br>5- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त<br>6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिचाई एवं जल संसाधन<br>7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा<br>8- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण<br>9- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा<br>10- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 11- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास  
 12- मण्डलायुक्त, (झाँसी एवं चित्रकूटधाम)
- (6) सदस्य सचिव -- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग।  
 (7) विशेष आमंत्रित -- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव  
 (सदस्य जिन्हें यथावश्यकता आमंत्रित किया जाएगा) (कृषि/ पशुपालन/ दुग्ध/ मत्स्य/ लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/ आवास एवं शहरी नियोजन/ नगर विकास/ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन/ हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग/ खादी एवं ग्रामोद्योग/ पर्यटन/ अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत / व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग)  
 -- जिलाधिकारी, झाँसी/ ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ महोबा/ बांदा/ चित्रकूट।  
 -- कुलपति, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी।  
 -- कुलपति, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा।  
 -- प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झाँसी।

2- बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड के कार्य निम्नवत् होंगे:-

- (1) बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समग्र विकास हेतु दिशा निर्देश प्रदान करना।
- (2) बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के अवरोधक तत्वों/कारणों का अभिज्ञान एवं उनके निराकरण के उपाय सुझाना।
- (3) दीर्घकालीन, मध्यकालीन एवं अल्पावधि की प्राथमिकताएं तय करना तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास की समग्र कार्य योजना बनाना।
- (4) कार्य योजना के अनुरूप विभागीय योजनाओं से समेकन।
- (5) अन्तर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित कराना।
- (6) जनपदों में अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के उपाय सुझाना।
- (7) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषि एवं संवर्णीय सेक्टरों की उन्नति एवं कृषकों की आय को बढ़ाने हेतु मूल्य संवर्धन और निर्यात केन्द्रित क्षेत्रों को अभिज्ञानित करते हुए निवेश हेतु दिशा निर्देश देना।
- (8) विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर एग्रो-प्रोसेसिंग, पर्यटन, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, हस्तशिल्प, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा आदि क्षेत्रों में निजी, घरेलू एवं विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु रणनीति विकसित करना।
- (9) भू-जल रिचार्जिंग और सतही जल स्रोतों के संरक्षण द्वारा जल स्रोतों का विकास एवं संवर्धन के उपाय सुझाना।
- (10) अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु रोड मैप तैयार कराना।
- (11) ग्रामीण क्षेत्र में जीवन स्तर में सुधार हेतु कार्यक्रमों को लागू कराना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

